

FORM No. III

फर्द अहकाम  
( नियम 15 )

अज अदालत संभागीय आयुक्त, उदयपुर ( राज0)

श्री ऋषिराजसिंह, जयपुर जरिए अधिकार ग्रहिता श्री जितेन्द्रपालसिंह चुण्डावत, उदयपुर	बनाम	श्रीमती बदामबाई छाजेड़ व अन्य, उदयपुर
---	------	---------------------------------------

किस्म मुकदमा अपील 33/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.12.2019	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। उपस्थित होने हेतु आवाजें दिलवाई गई। प्रकरण की सुनवाई हेतु के लिए पुकार होने पर न्यायालय समय समाप्त होने एवं न्यायालय उठने तक अधिवक्ता अपीलान्ट/अपीलान्ट उपसंजात नहीं हुए, साथ ही प्रश्नगत प्रकरण/अपील अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा पर्याप्त अवसर उपभोग उपरान्त भी प्रत्यर्थी के सम्मन/नोटिस प्रस्तुत नहीं किए। अधिवक्ता अपीलान्ट/अपीलान्ट द्वारा समय पर न्यायालय आदेशानुसार तामिले प्रस्तुत नहीं करना एवं बावजूद सूचना अनुपस्थित रहना, यह दर्शाता है कि वह प्रश्नगत अपील नहीं चलाना चाहते हैं। अतः प्रकरण/अपील अदम पैरवी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

संभागीय आयुक्त  
उदयपुर